सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र, 1941 (श०)

संख्या- 681 राँची, सोमवार, 26 अगस्त, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

9 अगस्त, 2019 ई०

संख्या: 12/वि०उ०-08-01/2018 का. 6437-- राँची, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के अधीन कार्यरत श्री दयानन्द पासवान, प्रधान आप्त सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची को उनकी नियुक्ति की तिथि से 30 वर्षों की नियमित सेवा अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-2981/वि०, दिनांक-01.09.2009, संकल्प संख्या-1779/वि०, दिनांक-21.05.2014 में निहित प्रावधानों, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त परामर्श एवं विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में एम० ए० सी० पी० योजनान्तर्गत उनके नामों के समक्ष कॉलम-5 में अंकित तिथि से वेतनमान-III, 15600-39100, ग्रेड वेतन-7600/-(पुनरीक्षित Pay Matrix Level-12) में तृत्तीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति निम्नरूपेन प्रदान की जाती हैः-

क्र० सं०	नाम/पदनाम/ विभाग GPF No	जन्मतिथि सेवानिवृति तिथि	योगदान तिथि सम्पुष्टि तिथि	वेतनमान-III, 15600-39100, ग्रेड वेतन-7600/-, (पुनरीक्षित Pay Matrix Level-12) में तृत्तीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री दयानन्द पासवान, प्रधान आप्त सचिव उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, PTS/PAR-19	08.01.1963 31.01.2023	29.04.1986 01.04.1990	29.04.2016	योजना-सह-वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री पासवान को दिनांक-01.01.2006 को प्राप्त अकार्यात्मक ग्रेड वेतन को द्वित्तीय वित्तीय उन्नयन एवं दिनांक-10.05.2007 को प्रधान आप्त सचिव के पद पर हुई प्रोन्नति को द्वित्तीय प्रोन्नति माने जाने के कारण वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2981 दिनांक-01.09.09 के परिशिष्ट-I की कंडिका-4 के आलोक में प्रधान आप्त सचिव के पद पर प्रोन्नति(तिथि-10.05.2007) के समय वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा, मात्र ग्रेड वेतन के अंतर की राशि अनुमान्य होगा।

2. उपर्युक्त लाभों की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् हैः-

(क) उपर वर्णित पदधारकों की नियुक्ति तिथि से देय वित्तीय उन्नयन की तिथि तक नियमित सेवा सत्यापित रहने के उपरांत ही स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण प्रशासी विभाग के द्वारा किया जायेगा।

(ख) वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन के निर्धारण का सत्यापन योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची से होने के उपरान्त ही वित्तीय उन्नयन का लाभ देय होगा।

(ग) प्रदत्त वित्तीय उन्नयन के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर प्रदत्त एम.ए.सी.पी. योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की एकमुश्त वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

3. इस योजनान्तर्गत वित्तीय उत्क्रमणों के दौरान संबंधित कर्मी के वेतन का निर्धारण प्रशासी विभाग द्वारा भारत सरकार के मौलिक नियमावली के नियम 22 (i) (ए) (i) के प्रावधानों तथा इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन होगा। उपरोक्त वित्तीय उन्नयन संबंधी अनुशंसा पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

4. यह उत्क्रमण व्यक्तिगत है, जिसका उनकी पारस्परिक वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। संवर्ग में कनीय कर्मी को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजनान्तर्गत उच्चत्तर वेतनमान/ग्रेड वेतन प्राप्त होने के आधार पर वरीय कर्मी को अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण/वेतनमान/का संरक्षण देय नहीं होगा।

5. यह आदेश योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-2981/वि०, दिनांक-01.09.2009 एवं 1779/वि० दिनांक-21.05.2014 के परिपत्रानुसार प्रभावी होगा। इस योजना के लागू होने के पूर्व का बकाया अनुमान्य नहीं होगा।

6. इस योजनान्तर्गत वित्तीय उत्क्रमण के फलस्वरूप उच्चत्तर वेतनमान (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) के आधार पर संबंधित सरकारी सेवक सरकारी आवास का आवंटन, गृह निर्माण अग्रिम का लाभ प्राप्त कर सकेगें, किन्तु राजकीय उत्सवों, अलंकरण समारोहों आदि के लिए वे अपने मौलिक वेतनमान के अनुरूप ही सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय त्रिवेदी,
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 681 -- 50